भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 85

(दिनांक 05.12.2013 को उत्‍तर के लिए)

**स्‍वीकृति के लिए लंबित भ्रष्‍टाचार के मामले**

85. डा. जनार्दन वाघमरे :

श्री एन. के. सिंह :

क्या कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा भ्रष्‍टाचार के आरोपों के अभियोजन के संबंध में कई मामले विभिन्‍न विभागों से स्‍वीकृति प्राप्‍त करने हेतु चार महीनों से अधिक समय से लंबित हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का स्‍वीकृति प्राप्‍त करने तथा भ्रष्‍टाचार के दावों की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन हेतु स्‍वीकृति प्राप्‍त करने के पश्‍चात सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालयों के समक्ष अन्‍वेषण एजेंसियां अर्थात केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो/पुलिस हैं, जो आरोप पत्र दायर करते हैं । आयोग, प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा इसे भेजे गए मामलों में सलाह प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1)(च) में दिए गए अधिदेश के अनुसार, आयोग को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्‍वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तदनुसार, आयोग मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के पास तीन माह से अधिक लंबित अभियोजन की स्‍वीकृति के मामलों की निगरानी करता है।

आयोग द्वारा उपलब्‍ध करवाई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार, भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत स्‍वीकृतियों के लिए तीन माह से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्‍या (सीबीआई द्वारा बताए अनुसार) 46 है, जिसमें राज्‍य सरकारों के कार्य से संबंधित 29 मामले शामिल हैं।

कुछ मामलों में अभियोजन की स्‍वीकृति में लगने वाली देरी का कारण अधिकतर विस्‍तृत जांच तथा मामले के अत्‍यधिक प्रलेखों तथा साक्ष्‍य के विश्‍लेषण, राज्‍य सरकारों तथा अन्‍य एजेंसियों से परामर्श तथा कभी-कभी संबंधित दस्‍तावेजी साक्ष्‍यों का उपलब्‍ध न होना रहा है।

(ख) : अभियोजन की स्‍वीकृति प्रदान करने में होने वाले विलंब को जांचने के क्रम में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 06 नवंबर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्‍या 399/33/2006-एवीडी-।।। तत्‍पश्‍चात दिनांक 20 दिसंबर, 2006 के दूसरे का.ज्ञा और दिनांक 03.05.2012 के का.ज्ञा.सं. 372/19/2012-एवीडी-।।। के तहत अभियोजन की स्‍वीकृति प्रदान करने में विलंब को जांचने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न दिशा-निर्देशों में प्रत्‍येक चरण के परामर्श हेतु विभिन्‍न एजेंसियों के मध्‍य एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तीन माह की समय-सीमा के भीतर अभियोजन हेतु स्‍वीकृति का निर्णय लिया जा सके। दिशा-निर्देश, अभियोजन अनुरोधों हेतु प्रत्‍येक मंत्रालय/विभाग के सचिव के स्‍तर पर निगरानी और उनके द्वारा मंत्रिमण्‍डल सचिव को मासिक रिपोर्टें प्रस्‍तुत करने का भी निर्धारण करता है। सरकार ने 20 जुलाई, 2012 को एक और अनुदेश, जिसमें सीबीआई/सीवीसी को स्‍पष्‍टीकरण/पुनर्विचार हेतु बार-बार किए जाने वाले पत्राचार को रोकने जैसे प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को स्‍पष्‍ट करते हुए, जारी किया है। सभी मंत्रालयों/विभागों को पुन: परामर्श दिया गया है कि 06.11.2006 तथा 20.12.2006 के कार्यालय ज्ञापनों, जिन्‍हें 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है, में निहित अनुदशों का कड़ाई से पालन करें। ये कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट persmin.nic.in पर उपलब्‍ध हैं ।

\*\*\*\*